15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म0प्र0)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र0.............. R- 2786-II/12

1. रवीन्द्र मोहन तनय राम गोपाल नामदेव
2. राम सरन तनय राम गोपाल नामदेव
   दोनो निवासी ओरछा, तह0 ओरछा
   जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0) .... पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. राम प्रताप तनय राम गोपाल नामदेव
2. विनोद कुमार तनय राम प्रताप नामदेव
3. महेन्द्र तनय राम प्रताप नामदेव
4. अरविन्द तनय राम प्रताप नामदेव
5. चन्द्र प्रताप तनय राम प्रताप नामदेव
   समस्त निवासीगण ओरछा, तह0 ओरछा
   जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
6. श्रीमान् तहसीलदार महोदय
   तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .... प्रत्यर्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि 29-8-12 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 5 सहपठित 50 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्र0 178/अपील/10-11 का अधिकार वाह्य प्रतिप्रेषण आदेश दि0 6/02/2012 अपास्त कर राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को ही जो उक्त प्रकरण में धारा:32 के अन्तर्गत राहत प्राप्ति हेतु उन्हें प्रस्तुत आवेदन पत्र दि0 06/08/2012 अगृहीत (Reject) करने के सम्बन्ध में विनय पत्र।

माननीय महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक--निगरानी--2786--दो/2012 जिला--टीकमगढ़

रवीन्द्र मोहन व अन्य विरूद्ध रामप्रताप आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
22--04--2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला--टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 178/अपील/2010--11 में पारित आदेश दिनांक 06--02--2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25--9--2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला--टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06--06--2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	